


05.02.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की वकालत पर मनन करने एवं पत्रावली का इकलौकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली काद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में  
जुनाया गया।

  
(दीपक चन्दन)  
R.A.S.